न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 112/2021 Gcms No. 2021/384
दायरा तिथि : 14.10.2021
आदेश तिथि : 16-5-2022

प्रार्थीगण :–
स्व. हीरसिंह पुत्र वनेसिंहजी जाति रावणा राजपुत
निवासी भीटवाडा तहसील बाली के कामु. उतराधिकारीगणः–
1– श्रीमती लीलाकंवर पत्नि स्व. हीरसिंहजी
2. आरतीकंवर पुत्री स्व. हीरसिंहसिंहजी
3. पृथ्वीराजसिंह पुत्र स्व. हीरसिंहजी नाबालिग जरिये कुदनती वलिया माता श्रीमति लीलाकंवर पत्नि स्व. हीरसिंहजी जातिगण रावणा राजपुत निवासीगण भीटवाडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. कंचन कुंवर पुत्री भंवरसिंहजी जाति रावणा राजपुत
निवासी भीटवाडा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
2. कन्या कुंवर पत्नि भंवरसिंहजी जाति रावणा राजपुत (फौत) के कायम मुकाम वारिशानः
निवासी भीटवाडा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
3. मुन्ना कंवर पुत्री भंवरसिंहजी जाति रावणा राजपुत
निवासी भीटवाडा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
4. सुन्दरकुंवर पुत्री भंवरसिंहजी जाति रावणा राजपुत
निवासी भीटवाडा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
5. जयसिंह पुत्र भंवरसिंहजी जाति रावणा राजपुत
निवासी भीटवाडा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
6. चैनसिंह पुत्र वनेसिंहजी जाति रावणा राजपुत
निवासी भीटवाडा तहसील बाली (फौत) के कायम मुकाम वारिशानः
7. मोहनकुंवर पुत्री वनेसिंहजी जाति रावणा राजपुत
निवासी भीटवाडा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
8. रामदेवी पत्नि वनेसिंहजी जाति रावणा राजपुत
निवासी भीटवाडा तहसील बाली (फौत) के कायम मुकाम वारिशानः–
9. लीलाकुंवर पुत्री वनेसिंहजी जाति रावणा राजपुत
निवासी भीटवाडा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
10. हरीसिंह पुत्र वनेसिंहजी जाति रावणा राजपुत
निवासी भीटवाडा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
11. जालमसिंह पुत्र देवीसिंहजी जाति रावणा राजपुत
निवासी भीटवाडा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
12. पवनकुंवर पुत्री देवीसिंहजी जाति रावणा राजपुत
निवासी भीटवाडा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
13. रेखाकुंवर पुत्री देवीसिंहजी जाति रावणा राजपुत
निवासी भीटवाडा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
14. सुकी पुत्री देवीसिंहजी जाति रावणा राजपुत
निवासी भीटवाडा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
15. हस्तु पत्नि देवीसिंह जाति रावणा राजपुत
निवासी भीटवाडा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
16. रणजीतसिंह पुत्र देवीसिंहजी जाति रावणा राजपुत
निवासी भीटवाडा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
17. तखतकंवर पत्नि हीरसिंहजी जाति रावणा राजपुत
निवासी भीटवाडा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
18. देवूकंवर पुत्री हीरसिंहजी जाति रावणा राजपुत
निवासी भीटवाडा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
19. प्रतापकंवर पुत्री हीरसिंहजी जाति रावणा राजपुत
निवासी भीटवाडा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
20. मंजुलाकंवर पुत्री हीरसिंहजी जाति रावणा राजपुत
निवासी भीटवाडा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
21. धनसिंह पुत्र हीरसिंहजी जाति रावणा राजपुत
निवासी भीटवाडा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
22. मोहनकंवर पुत्री हीरसिंहजी जाति रावणा राजपुत
निवासी भीटवाडा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
23. रतनसिंह पुत्र मानसिंहजी जाति रावणा राजपुत
निवासी भीटवाडा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
24. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with Oken Scanner

//2//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 112/2021 [illegible]

[illegible]

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-

1. श्री [illegible] अभिभाषक प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री [illegible] अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 20 की ओर से
3. श्री [illegible] नायब तहसीलदार [illegible]

:- आदेश :- दिनांक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

[illegible]

[illegible]

[illegible]

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 112/2021 Gcms No. 2021/384
अनवान स्व. हीरसिंह के कामु. लीलाकंवर वगैरा बनाम कंचनकुंवर वगैरा
अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण में वर्णित हितवक्ष अप्रार्थी संख्या 17 से 22 में से अप्रार्थी संख्या 19 एवं 20 के द्वारा तो दिनांक 09.05.2022 को प्रस्तुत जवाब में वादग्रस्त भूमि में अपना नाम गलत तौर से दर्ज होना स्वीकार करते हुये प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अनुसार उनकी जगह प्रार्थीगण स्व. हीरसिंह पुत्र वनेसिंहजी जाति रावणा राजपुत के जायज वारिश होने से इनका नाम दर्ज किये जाने की सहमति प्रदान कर दी है। तथा अप्रार्थी संख्या 17, 18, 21 के विरूद्व न्यायालय द्वारा दिनांक 14.03.2022 की आदेशिका से एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश हो चुके है। इसके साथ ही तहसीलदार, बाली भी अपनी जांच रिपोर्ट में यह स्वीकार करते हैं कि :–

1. ग्राम भीटवाडा में हीरसिंह पुत्र वनेसिंह कौम राव तथा हीरसिंह पुत्र वनेसिंह कौम रावणा राजपुत नाम से दो व्यक्ति थे।
2. हीरसिंह पुत्र वनेसिंह कौम राव की मृत्यु सन् 2015 में हुई तथा हीरसिंह पुत्र वनेसिंह कौम रावणा राजपूत की मृत्यु दिनांक 29.01.2021 को हुई।
3. हीरसिंह पुत्र वनेसिंह राव के नाम खातेदारी खसरा नंबर 635 तथा 636 रकवा 2.93 हैक्टर दर्ज थी, जिसका जरिये नामान्तरकरण संख्या 887 विरासत का नामान्तरकरण दायर किया गया जिनके वारिस तखतकंवर पत्नि हीरसिंह, धनसिंह पुत्र हीरसिंह देवुकंवर पुत्री हीरसिंह, प्रतापकंवर पुत्री हीरसिंह, मंजुला कंवर पुत्री हीरसिंह, मोहनकंवर पुत्री हीरसिंह कौम राव दर्ज हुए(जमाबंदी संलग्न)
4. हीरसिंह पुत्र वनेसिंह कौम रावणा राजपूत के नाम खातेदारी खसरा नंबर 691, 692, 693, 696, 698, 697, 699, 700, 701 कुल खसरा–9 में विरासत हेतु नामान्तरकरण संख्या 927 दायर किया गया जो कि दिनांक 18.05.2015 को स्वीकृत किया गया, जबकि हीरसिंह पुत्र वनेसिंह रावणा राजपुत की मृत्यु वर्ष 2021 में हुई हैं।
5. इसके अतिरिक्त हीरसिंह पुत्र वनेसिंह रावणा राजपूत के वारिसान के नाम लीलाकंवर पत्नि हीरसिंह, आरतीकंवर पुत्री हीरसिंह तथा पृथ्वीराजसिंह पुत्र हीरसिंह (ना.बा.) कौम रावणा राजपूत के स्थान पर हीरसिंह पुत्र वनेसिंह राव के वारिशान तखतकंवर पत्नि हीरसिंह, धनसिंह पुत्र हीरसिंह वगैरा का नाम त्रुटिवश दर्ज हो गया।

इस प्रकार प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि प्रार्थीगण की जाति रावणा राजपुत है तथा अप्रार्थी संख्या 17 से 22 की जाति राव है, जिस तथ्य को तहसीलदार, बाली भी स्वीकार करते है तथा अप्रार्थी संख्या 19 व 20 भी अपने जवाब में स्वीकार करते है। जिससे प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित हैं कि अप्रार्थी संख्या 17 से 22 का वादग्रस्त भूमि ग्राम भीटवाडा के खसरा नंबर 691, 692, 693, 696, 697, 698, 699, 700, 701 कुल खसरा–09 कुल रकबा 2.600 हैक्टर में कोई हक अधिकार निहित नही होते हुये पटवारी हल्का, भीटवाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या 17 से 22 के पिता /पति हीरसिंह पुत्र वनेसिंह राव की मृत्यु वर्ष 2015 में होने पर गलती से प्रार्थीगण के पति/पति स्व0 हीरसिंह पुत्र वनेसिंह द्वारा सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमि में नामान्तरकरण संख्या 927 स्वीकृति दिनांक 18.05.2015 से दर्ज कर दिया, जबकि वास्तविक स्थिति यह हैं कि प्रार्थीगण के पति/पिता हीरसिंह पुत्र वनेसिंह कौम रावणा राजपुत की मृत्यु वर्ष 2021 में हुई है। जिस त्रुटि को अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार, बाली द्वारा स्वीकार करते हुये त्रुटिपुर्ण इन्द्राज को दुरस्त किये जाने की अनुशंषा कर दी गई है। जिससे प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अनुसार राजस्व रेकर्ड में हुई त्रुटि को दुरस्त किया जाना न्याय संगत है।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील प्रार्थीगण श्री सोहनसिंह सोलंकी द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी गई कि प्रार्थीगण के पति/पिता की मृत्यु वर्ष 2021 में होने के बावजुद पटवारी हल्का, भीटवाडा द्वारा गलती से अप्रार्थी संख्या 17 से 22 के पिता/पति हीरसिंह पुत्र देवीसिंह की मृत्यु वर्ष 2015 में होने से वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण संख्या 17 से 22 का नाम दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थीगण के पति/ पिता हीरसिंह देवीसिंह जाति रावणा राजपुत की मृत्यु वर्ष 2021 में हुई है। जिससे पटवारी हल्का, भीटवाडा द्वारा गलत तौर से भरे गये फौतेदगी नामान्तरकरण के आधार पर रेकर्ड में दर्ज त्रुटिपुर्ण इन्द्राज को दुरस्त किये जाने की दलील दी। वकील अप्रार्थी पक्ष श्री विक्रमसिंह सोलंकी ने भी इस बावत् अपनी सहमति व्यक्त की।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि ग्राम भीटवाडा के खसरा नंबर 691, 692, 693, 696, 697, 698, 699, 700, 701 कुल खसरा–09 कुल रकबा 2.600 हैक्टर में बतौर सह खातेदार दर्ज अप्रार्थी संख्या–17 से 22 का नाम विलोपित करते हुये राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थीगण का नाम अप्रार्थी संख्या 17 से 22 की जगह हिस्सा अनुसार दुरस्ती के माध्यम से दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। इसके साथ ही तहसीलदार, बाली को निर्देश दिये जाते हैं कि वादग्रस्त भूमि के अधिकार अभिलेखों में दर्ज अन्य सह खातेदारान् यथा अप्रार्थी संख्या 02, 06, 08 की यदि मृत्यु हुई है, तो विधिक वारिशान के नाम नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही भी सुनिश्चित करे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, भीटवाडा को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफतर होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे ...)
उपखण्ड अधिकारी
आई.ए.एस.
भू अभिलेख अधिकारी एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

आदेश आज दिनांक 16-5-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भू अभिलेख अधिकारी एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with Oken Scanner